न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.12.2023

राजस्व वाद संख्या : 94 / 2023

निर्णय दिनांक : 09.12.2023

जीसीएमएस संख्या– 2023 / 172 दायर दिनांक – 01.12.2023

यशोदा पुत्री स्व. ईशरराम पत्नी हनुवंतराम जाति जाट निवासीनी इन्द्रगिरी आश्रम के सामने वार्ड नंबर 4 सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री हरीश गुलेरिया एडवोकेट वादीनी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 2149 / 509 तादादी 11.4690 हैक्टेयर व खसरा संख्या 508 तादादी 0.0126 हैक्टेयर गै.मु. कुण्ड वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीनी के पिता ईशरराम के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादीनी का बोलता नाम जसौदा पुत्र ईशरराम के नाम 1 / 8 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादीनी का वास्तविक नाम यशोदा पुत्री ईशरराम है जो कि वादीनी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादीनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीनी को आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

09.12.23
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादगत खेत में वादीनी का नाम जसौदा पुत्र ईशरराम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादीनी के दस्तावेजों में नाम यशोदा पुत्री स्व. ईशरराम जाति जाट है। जसोदा व यशोदा दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जसौदा पुत्र ईशरराम के स्थान पर यशोदा पुत्री स्व. ईशरराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पहचान पत्र, बैंक पास बुक की फोटोप्रति., राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम यशोदा अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 2149/509 तादादी 11.4690 हैक्टेयर व खसरा संख्या 508 तादादी 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 11.4816 हैक्टेयर रोही ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी का नाम जसौदा पुत्र ईशरराम जाति जाट सा. सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर यशोदा पुत्री स्व. ईशरराम जाति जाट सा. सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

09.12.23

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 09.12.2023

यशोदा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 94 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री हरीश गुलेरिया एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 2149/509 तादादी 11.4690 हैक्टेयर व खसरा संख्या 508 तादादी 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 11.4816 हैक्टेयर रोही ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी का नाम जसौदा पुत्र ईशरराम जाति जाट सा. सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर यशोदा पुत्री स्व. ईशरराम जाति जाट सा. सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09 माह 12. 2023**

09.12.23

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

(मुहर: लोक अदालत सुजानगढ़)

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

(मुहर: सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़)

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

(मुहर: सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़)

मुद्दई	रुपया	पै.	[illegible]	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			[illegible] वकालतनामा स्टाम्प [illegible] [illegible] वकील पर खर्चा [illegible]हान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested